

44

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

नगरनी-5063/2018 शहडोल/भू.र.

2018 पुनरीक्षण

*Am J. S. Gowd  
Rel.*

श्री. जे. एस. गोवड कोर्ट  
द्वारा आज दि. 20-8-18 को  
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क व  
दिनांक 27-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-8-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. राजा बम्भानी पुत्र श्री अर्जुनदास बम्भानी
2. हरीश कुमार बम्भानी पुत्र श्री अर्जुनदास बम्भानी, दोनो निवासीगण-बुढार, तहसील बुढार जिला शहडोल, (म०प्र०)
3. श्रीमती रोमा कुमारी पुत्री श्री अर्जुनदास बम्भानी, पत्नी श्री मोहन जी पंजवानी निवासी- भूरीबली, मुम्बई, (महाराष्ट्र)

--आवेदकगण

बनाम


*Sri. Mukesh  
Bhangar*

1. धीरज सिंह लखमना पुत्र श्री सत्यपाल सिंह लखमना
  2. बलधीरज सिंह लखमना पुत्र श्री सत्यपाल सिंह लखमना दोनों निवासी- कोर्ट ब्यू, 126 हाईकोर्ट रोड- मुम्बई, (महाराष्ट्र)
  3. मु० रामवती बेवा स्व० श्री नर्मदा प्रसाद
  4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री द्वारिका
  5. ललन पुत्र श्री द्वारिका
  6. मालिकराम पुत्र श्री द्वारिका
  7. पुल्लू पुत्री श्री द्वारिका
  8. सोनिया पुत्री श्री द्वारिका
  9. रेमुन पुत्री श्री द्वारिका
  10. सुधा पुत्री श्री द्वारिका
- क्रमांक 3 लगायत 10 निवासीगण- ग्राम सेमरा तहसील बुढार जिला शहडोल, (म०प्र०) --अनावेदकगण

*न. सु.  
20/8/18  
(न. सु.)  
Rel.*

*[Signature]*

*[Signature]*



पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 06/08/2018 पारित द्वारा  
कमिश्नर महोदय शहडोल सम्भाग शहडोल के प्रकरण  
कमांक 230/2011-12 अपील व उनवान धीरज सिंह  
आदि बनाम राजा बम्भानी ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


1. यहकि, ग्राम हड़हा तहसील बुढ़ार जिला शहडोल में स्थित कृषि भूमि पुराना सर्वे कमांक 1 नया नं0 4 रकवा 6.00 एकड़ एवं पुराना सर्वे कमांक 2 नया नं0 9 रकवा 36.58 एकड़ आवेदकगण के दादाजी भोजराज के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। आवेदक के दादा जी भोजराज की मृत्यु के बाद आवेदकगण के पिता अर्जुनदास का नाम उक्त भूमि पर स्वामी के रूप में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदकगण का नाम उक्त भूमि पर स्वामी के रूप में शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया गया हैं। उक्त भूमि पर मौके पर पूर्व में आवेदक के दादा भोजराज तथा उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण के पिता अर्जुन सिंह तत्पश्चात् आवेदकगण का उक्त भूमि पर आधिपत्य होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी आवेदकगण ही उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं।
2. यहकि, अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया जाकर उल्लेखित किया गया कि, वादग्रस्त भूमि सोहनसिंह एवं श्रीमती प्रकाश कौर ने पूर्व भूमि स्वामी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5063/2018/शहडोल/भू.रा.

राजा बम्भानी विरूद्ध धीरज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 2 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को समय-समय पर तीन बार पुकार लगायी गयी । पुकार लगाने के उपरांत भी आवेदक अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण अधम पैरवी पर खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा)            सदस्य         </p>	

74